

पदमसिंह बनाम अमरसिंह श्रापत्र 64/23

02.01
24

आज पत्रावली श्रापत्र 3 श्रापत्र पर कार्यलय से
ब्रेक की गई। श्रापत्र ने मय वकील श्रापत्र
पेश कर निर्दिष्ट किया कि हम पक्षकारों के मध्य
राजिनामा ही गया है, अतः श्रापत्र की आगे
चलाना नहीं चाही है इसलिये श्रापत्र को
इसी स्तर पर बिड़ी रिमि जान की ह्या करे।

प

पदमसिंह

Identical
by me

02.01
24

श्रापत्र व उनके वकील की सुना गया तथा
पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः आदेश है
कि आदेश दिनांक 09.10.2023 की खारिज किया
जाता है पत्रावली जिसल सुमा 2 होकर दारिदल
दफतर ही।

(विष्णु बंसल)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज०